न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *भंवराराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी* *अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम* *राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 180/2025*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/9/25	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी पुश्तैनी सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम फींच पटवार हल्का फींच तहसील लूणी के खसरा नंबर 812 रकबा 2.1448 हैक्टयर, 757/876 रकबा 4.0669 हैक्टयर, खसरा संख्या 776/885 रकबा 3.1565 हैक्टेयर स्थित थी। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमियों में प्रार्थी का नाम गलती एवं त्रुटि के कारण भलाराम दर्ज कर दिया किया गया जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम भंवराराम है। प्रार्थी का अन्य सभी दस्तावेजों में नाम भंवराराम दर्ज है जिसे शुद्ध किया जाना अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रैकर्ड में दर्ज नाम भलाराम की जगह पर भंवराराम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी कर जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/2684 दिनांक 02.09.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम फिंच के खसरा 812 रकबा 2.1448 हैक्टयर में प्रार्थी का नाम भलाराम पुत्र कालूराम जाति हरिजन हिस्सा 1/18 सह खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी का नाम भलाराम जरिये नामान्तकरण सख्या 597 विरासत के जरिये दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड में नाम भंवराराम पुत्र कालूराम है। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत दस्वावेज एवं स्वयं की जाँच रिपोर्ट अनुसार भलाराम उर्फ भंवराराम दर्ज करने की अनुशंषा की गई। पत्रालवी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी उक्त सहखातेदारी कृषि भूमि में नामान्तकरण संख्या 597 के विरासत के जरिये विरासत नाम दर्ज हुआ जिसमें भलाराम दर्ज है। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रार्थी का नाम भल्लाराम के स्थान पर भंवराराम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है। पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भंवराराम है। प्रार्थी की ओर से अपनी अन्य कृषि भूमि ग्राम फींच तहसील लूणी के खसरा नंबर 757/876 एवं 776/885 की पेश की गई जिसमें सही नाम भंवराराम उर्फ भलाराम पुत्र कालूराम दर्ज है। अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम फिंच तहसील लूणी के खसरा नम्बर 812 के राजस्व रेकर्ड में खातेदार का नाम भलाराम के स्थान पर भलाराम उर्फ भंवराराम दर्ज कर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	